(a) whether Government have made any in-depth study of the environmental threat caused by emission of greenhouse gases in India which is supposed to be the sixth largest producer of carbon dioxide emissions;

(b) if so, the details of the study made and the agency which had undertaken the study; and

(c) the steps being contemplated to combat the growing menace?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) Under a Technical Assistance Project from the Asian Development Bank the Government has completed in 1994 a study entitled "CLIMATE CHANGE IN ASIA: India Country Report" wherein analysis of vulnerability to climatic and whether related events, the potential impacts of Climate Change and preliminary estimates of national greenhouse gas emissions have been worked out. The Government is not aware of any study in support of the statement that India is the sixth largest producer of carbon dioxide emissions. On the other hand, according to data available from some studies, the annual net emissions of all greenhouse gases in India, as percentage of global emissions, is of the order of 0.013% only which is not significant as compared to a number of developed and developing countries.

(b) In this study, scientists and experts from various research institutions and universities such as National Physical Laboratory, New Delhi; India Agricultural Research Institute, New Delhi; Indian Institute of Science, Bangalore; Jawaharlal Nehru University, New Delhi; Tata Energy Research Institute, New Delhi; Indira Gandhi Institute of Developmental Research Bombay; Management Services Group, New Delhi had participated. The study has shown that India's past and present carbon diosxide emissions are not significant. Further, the methane emissions from paddy fields in India is in the range of 2.5 — 6.0 terra grams per year as against 37.8 terra grams per year projected in other studies from the developed countries.

(c) The Government is aware of the problem. India is a Party to the United Nations Framework Convention on Climate Change whose objective is to achieve stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level which would not harm the global climate system. As per the existing obligations under this treaty, India is not required to adopt any national greenhouse gas reduction targets. Notwithstanding this, several measures have been adopted to promote efficient utilisation of fossil fuels, use of renewable energy technologies, abatement of pollution, conservation of forests etc. Besides, a framework of legislative and policy measures are in place which would help in minimizing the causes of climate change.

"राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के आवागमन में बाधा पड़ना"

*584. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, देहारादून के वन्य जीवों, विशेषकर हाथियों के उन्मुक्त आवागमन में गंगा नदी के दोनों और, मानवीय कारणों से बाधा पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मानवीय कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बाधाओं के कारण हाथियों की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) क्या इस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में वन गूजरों,

जोकि इस क्षेत्र के पारम्परिक निवासी रहे हैं, के पुनर्वास के लिये दिये गये सुझावों पर अमल नहीं हो रहा है; और

(ङ) इस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र को पूर्ण रूप से संरक्षित करने के लिए क्या-क्या योजनाएं हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़): (क) से (ङ) गंगा के पश्चिमी किनारे पर हरिद्वार और ऋषिकेश नगर क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर शहरीकरण, लोगों द्वारा इन दो शहरों के बीच भूमि अभिग्रहण, भारी वाहनों के यातायात द्वारा उत्पन्न बाधा और नदी के पश्चिमी किनारे के साथ चिल्ला हाइडिल नहर से उत्पन्न रूकावट के कारण नदी के पूर्वी और पश्चिम किनारों के वनों में वन्य पशुओं और हाथियों की बेरोक-टोक आवागमन प्रभावित हुआ है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी भाग में हाथियों की आबादी को शेष हाथियों की आबादी से अलग रखा गया है।

ग्रामीण वाद और अधिकार केन्द्र, देहरादून ने राजाजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में सामूहिक वन प्रबंधन हेतु एक योजना का प्रस्ताव किया है जिसमें वन गूजरों को राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में रहना है और इसका प्रबंध करना है ताकि स्थानीय समुदायों की पारम्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। एक प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया क्योंकि इसमें वन्यजीव संरक्षण, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की प्राथमिक उद्देश्य है, पर कम बल दिया गया है। वन-गूजरों के पुनर्वास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम शुरू की है जिसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए) लगभग 60 परिवारों को पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित पाथरी काम्पलैक्स में शिफ्ट किया गया है और अन्यों को भी शिफ्ट किए जाने की आशा है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के तहत राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वायरलेस सेट, अस्त्र-शास्त्र जैसे उपकरण मुहैया करने के लिए वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय प्रायोजित योजना, हाथी परियोजना के तहत दी गई है।

वन-गूजर पुनर्वास स्कीम

1. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन गूजर पारम्परिक रूप से खानाबदोश चरवाह समुदाय है जो कि मौसम के अनुसार हिमालय के उंचे चारागहों और वनों की पटगिरियों के बीच प्रवास करते हैं। 1983 में जब उत्तर प्रदेश के राज्य वन्यजीव बोर्ड ने तीन समीपवर्ती वन्यजीव अभयारण्यों, मोतीचूर, राजाजी और चिल्ला तथा पांडोवाला के आरक्षित वन को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सिफारिश की थी, वन विभाग के रिकार्डों में 512 गूजर परिवारों का होना बताया गया था जिनके पास क्षेत्र में चराई के लिए लाइसेंस शुदा 4000 भैंसे थीं।

2. उत्तर प्रदेश सरकार ने 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से हरिद्वार के 20 कि०मी० दक्षिण में शिवालिक वन प्रभाग के पथरी खण्ड में 512 पंजीकृत गूजर परिवारों को पुनः बसाने के लिए एक स्कीम शुरू की थी। मूल निहितार्थ यह था कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में किसी राष्ट्रीय उद्यान में किन्हीं अधिकारों की अनुमति प्रदान नहीं की गई लेकिन मानवीय आधार पर सरकार ने उनकी दशा पर विचार किया और उन्हें नजदीकी पथरी वन में बसाने की योजना बनाई है। इस योजना के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार का इरादा चरवाहे गूजरों को पिछड़े लोगों के लिए सरकार की नीतियों के अनुसरण में विकास की मुख्य धारा में लाने का है और उन्हें ऐसे स्थान में बसाने की व्यवस्था है जहां उन्हें व्यवस्थित जीवन, शिक्षा, सभ्यता और इसके लाभों की बुनियादी सुविधा मिले।

3. गूजरों के पुनर्वास के लिए स्कीम

प्रदत्त सुविधाएं: (क) आवासीय कालोनी:

(1) पथरी खण्ड में 512 आवासीय इकाइयां पूरी की गई हैं।
(2) प्रति परिवार पशु शरणास्थल — एक
(3) पशुओं के भोजन के लिए स्टोर—एक
(4) चारा उत्पादन क्षेत्र प्रति परिवार 0.8 हेक्टेयर
(5) जल आपूर्ति प्रबंध

(ख) सामुदायिक सुविधाएं:

(1) सामुदायिक हाल और अध्यापकों के आवास सहित विद्यालय
(2) विद्युत आपूर्ति प्रबंध

कुल लागत ऊपर 5 के तहत आज तक अद्यतन कुल व्यय 3 करोड़ रूपये से अधिक हुआ है (लगभग)

उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम पर उच्चतम न्यायालय में मामला: 1985 में उच्चतम न्यायालय में गूजरों द्वारा शुरू की गई लम्बी मुकद्दमेंबाजी प्रक्रिया द्वारा इस योजना में रूकावट आई थी, अन्ततः मामले में जारी स्टे आदेश को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किया गया था और राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वन

गूजरों के पुनर्वास के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए। यह स्कीम इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है।

वर्तमान स्थिति: वर्षों से गूजरों की आबादी और उनके पशुओं की संख्या बढ़ी है। यह सूचित किया गया है कि पथरी में निर्मित मकानों में 60 परिवारों को कब्जा दिया गया। अन्य को भी कब्जा दिए जाने की आशा है।

Aid for book promotion activities

*586. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of aid given for book promotion activities and financial assistance given to voluntary organisations during 1996-97;

(b) whether any publisher of Andhra Pradesh has been granted assistance for organising training courses, seminars, workshops, etc.; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) Details of aid given by the Ministry of Human Resource Development, Department of Education for book promotion activities to voluntary organisations during 1996-97 are as follows:

Sl.	Name of Organisation	Amount Sanctioned	Purpose
1.	Authors Guild of India, New Delhi.	Rs. 51,244/-	For organising 26th National Convention on Indian Authors.
2.	National Law School of Indian University, Bangalore.	Rs. 3,00,000/-	For organising 8-day Refresher Course on Intellectual Property Law & Practice for teachers of engineering and Law institutions.
3.	Indian Society of Authors, New Delhi.	Rs. 40,875/-	For organising seminar-cum-workshop on books for Neo-literates/rural children.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Production of caprolactam in India

*587. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the production of caprolactam in India, unit-wise, for the last three years;

(b) whether the cost of production has increased and the sale price has reduced;

(c) whether it is a fact that the reduction in import duty of caprolactam affected its production and sales; and

(d) if so, the steps taken to improve the condition of caprolactam unit of FACT?

THE MINISTER OF STATE FOR CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI SHEES RAM OLA) (a) The production of caprolactam in India unit-wise, for the last three years is given below:

(Matric Tonnes)

Company	1994-95	1995-96	1996-97
G S F C	54037	65651	64000*
F A C T	43440	47098	41958

*Estimated